SC-33 / 141

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.JC. No.____________/ of 2015

Anirudh Prasad Mehta ..... Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Others ..... Respondents.

Sub: EC act

INDEX

Sl.No	Annexure	Particulars	Pages
1.		An application under Article 226 of the Constitution of India.	
2.	Annexure-1	True copy of the relevant letter dated 30.6.2014	11-12
3	Annexure-2	True copy of the relevant letter dated 1.7.2014	13-
4.	Annexure-3	True copy of the relevant letter dated 8.7.2014	14-15
5.	Annexure-4	True copy of the relevant letter dated 18.7.2014	16
6.	Annexure-5	True copy of the relevant order contained in memo no 1924-2 dated 6.8.2014	17
7.		VAKALATNAMA.	

[signature]

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.JC. No.____________/ of 2015

Anirudh Prasad Mehta ..... Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Others ..... Respondents

SYNOPSIS

- That by this writ petition the petitioner seeks following reliefs:-
  - For quashing the order contained in memo no 1924-2 dated 6.8.2014 issued under the signature of respondent no 3 by which the license no 79 of 2007 of the petitioner under Public Distribution System is cancelled in most arbitrary manner.

- Any other order or orders as your Lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case be granted to the petitioner.

- That the petitioner is PDS dealer who obtained license no 79 of 2007 in Makdampur panchayat in Puraini Madhepura.

30.6.2014. An inspection report was sent to the Sub Divisional officer Udakishunganj by the Block Development Officer Puraini about the conduct of exparte enquiry done by him against the petitioner.

1.7.2014. The petitioner was directed to submit the explanation within two days.

8.7.2014. The petitioner filed detailed show cause before the respondent no 3 with a prayer to exonerate him from all the charges.

18.7.2014. Second show cause has been asked from the petitioner with a direction upon the petitioner

to file fresh show cause as the first show cause was not satisfactory.

24.7.2014. The petitioner filed second show cause again stated the same thing.

6.8.2014. The order issued under the signature of respondent no 3 by which the license no 79 of 2007 of the petitioner under Public Distribution System is cancelled in most arbitrary manner.

-- The Appeal is pending before the District Magistrate Madhepura.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.JC. No.____________/ of 2015

In the matter of an application under Article 226 of the Constitution of India.

A N D

In the matter of;

Anirudh Prasad Mehta son of late Jhako Prasad Mehata resident of village Makdampur P.S. Puraini District Madhepura.

..... Petitioner.

Versus

1. The State of Bihar.
2. The District Magistrate Madhepura.
3. The Sub Divisional Officer Udakishunganj Madhepura.
4. The District Supply Officer Madhepura.

5. The Block Development Officer Puraini District Madhepura.

...... Respondents.

To,

The Hon'ble Mr Justice L Narasimha Reddy, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner above named;

Most Respectfully Sheweth:

1. That by this writ petition the petitioner seeks following reliefs:-

(i) For quashing the order contained in memo no 1924-2 dated 6.8.2014 issued under the signature of respondent no 3 by which the license no 79 of 2007 of the petitioner under

Public Distribution System is cancelled in most arbitrary manner.

(ii) Any other order or orders as your Lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case be granted to the petitioner.

2. That the petitioner is a citizen of India and records are lying within the territorial jurisdiction of the said Hon'ble Court.

3. That the petitioner is PDS dealer who obtained license no 79 of 2007 in Makdampur panchayat in Puraini Madhepura.

4. That on 30.6.2014 an inspection report was sent to the Sub Divisional officer Udakishunganj by the Block Development Officer Puraini about the conduct of exparte enquiry done by him against the petitioner.

True copy of the relevant letter dated 30.6.2014 is annexed herewith and marked

as Annexure-1 to this writ petition.

5. That the statement of six persons indicated in the inspection report was not taken before the petitioner.

6. That on the basis of the aforesaid inspection report vide letter dated 1.7.2014 the petitioner was directed to submit the explanation within two days.

True copy of the relevant letter dated 1.7.2014 is annexed herewith and marked as Annexure-2 to this writ petition.

7. That on 8.7.2014 the petitioner filed detailed show cause before the respondent no 3 with a prayer to exonerate him from all the charges.

True copy of the relevant letter dated 8.7.2014 is annexed herewith and marked as

Annexure-3 to this writ petition.

8. That on 18.7.2014 again a second show cause has been asked from the petitioner with a direction upon the petitioner to file fresh show cause as the first show cause was not satisfactory.

True copy of the relevant letter dated 18.7.2014 is annexed herewith and marked as Annexure-4 to this writ petition.

9. That on 24.7.2014 the petitioner filed second show cause again stated the same thing and the petitioner craves leave to this Hon'ble Court to produce the copy of second show cause filed by the petitioner at the time of hearing if required.

10. That without perusing the second show cause as well as the records of the case vide order contained in memo no 1924-2 dated 6.8.2014 issued under the

signature of respondent no 3 by which the license no 79 of 2007 of the petitioner under Public Distribution System is cancelled in most arbitrary manner.

True copy of the relevant order contained in memo no 1924-2 dated 6.8.2014 is annexed herewith and marked as Annexure-5 to this writ petition.

11. That against the order contained in memo no 1924-2 dated 6.8.2014 the petitioner filed appeal before the district Magistrate Madhepura vide Appeal no 11 of 2014 which is still pending and the petitioner craves leave to this Hon'ble Court to produce the copy of memo of appeal filed by the petitioner at the time of hearing if required.

12. That the impugned action is lightly brushed a side by the respondent authorities on absolute erroneous ground.

13. That the claim of the petitioner has been ignored by the respondent authorities on the ground of conjecture and surmises.

14. That the petitioner states that the impugned order has the effect of the infringement of the petitioner's fundamental right enshrined in Article 14 and 21 of the constitution of India.

15. That the respondent authorities have exceeded their jurisdiction by not redressing his grievances which is void ab initio.

16. That the petitioner is running from pillar to post but with no result, hence this writ application before extraordinary jurisdiction of this Hon'ble Court at no point of time ever given any reply to the petitioner and are acting arbitrary without authority of law.

17. That this petition is bonafide and in the interest of justice.

18. That the petitioner shall irreparable loss if this petition is not allowed in favour of the petitioner.

19. That the petitioner has no alternative remedy save and except to revoke the extraordinary jurisdiction before this Hon'ble Court.

20. That the petitioner has not moved earlier regarding this matter before this Hon'ble Court.

It is, therefore, prayed that your lordships may graciously be pleased to issue Rule NISI calling upon the respondents to file show cause as to why the prayer made in the Paragraph No.1 of the writ application is not allowed in favour of the petitioners and on return of the rule hearing the parties the same be made absolute.

And/or

Pass such other order or orders as your lordships may deem fit and

proper and in the facts and circumstances of the case.

And for this the petitioners shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Anirudh Prasad Mehta age55 years son of late Jhako Prasad Mehata resident of village Makdampur P.S. Puraini District Madhepura do hereby solemnly affirm and state as follows;

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.

2. That the contents of the writ application have been ready by me and understood the same and they are true to my knowledge and belief.

3. That the statements made in paragraph No. 2,3,5,9,11,12,13,20, are true to my knowledge, those statements made in paragraph No.4,6,7,8,10 are true to my information derived from the records of the case and rest are by way of submissions before this Hon'ble Court.

4. That the annexures are true/photo/typed copies of their respective originals.

Anx-1 6 30-6-14

(11) 806-2 / 1-7-14

प्रखंड कार्यालय, पुरैनी

पत्रांक 557-2

प्रेषक:– प्रखंड विकास पदाधिकारी,

पुरैनी।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,

उदाकिशुनगंज।

तुरन्त पेश करें।

पुरैनी, दिनांक 30/06/14

विषय:– पुरैनी प्रखंड के मकदमपुर पंचायत के जनवितरण प्रणाली विक्रेता श्री अनिरूद्ध मेहता के जाँच के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में भवदीय द्वारा दूरभाष पर दिए गये निदेश के अनुसार मैं मकदमपुर पंचायत के गोठ टोला स्थित श्री अनिरूद्ध मेहता विक्रेता जन वितरण प्रणाली के द्वारा खाद्यान्न वितरण की जाँच स्थल पर की गई। टोले में निवास करने वाले उपभोक्ताओं से खाद्यान्न वितरण की मात्रा एवं खाद्यान्न की कीमत लिये जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई।

1, श्रीमति उर्मिला देवी पति स्व0 छोटेलाल पोद्दार राशन कार्ड संख्या10110110005002500016 ने बताया कि मेरे परिवार का यूनिट 8 है मुझे 24 किलो चावल तथा 16 किलो गेंहूँ मिला। मुझसे डीलर के द्वारा 200 रूप्या लिया गया।

2, श्रीमति सत्यप्रिया देवी पति जयकांत कुमार राशन कार्ड संख्या 10110110005002500049 ने बताया कि मेरे परिवार का यूनिट 5 है मुझे 15 किलो चावल तथा 10 किलो गेंहूँ मिला। इस खाद्यान्न का दाम 140 रूप्या डीलर के द्वारा लिया गया

3, श्रीमति करिया देवी पति नरसिंग मंडल वार्ड नं0 3 ने बताया कि मुझे 16 किलो गेंहूँ तथा चावल 22 किलो दिया गया तथा मुझसे 200 रूप्या लिया गया।

4, बबीता देवी पति उरेन मंडल वार्ड सं0 3 ने बताया कि मुझे 16 किलो गेंहूँ तथा 17 किलो चावल दिया गया मुझसे 160 रूप्या लिया गया।

5, श्री सुरेश मंडल पिता लालो मंडल ने बताया कि मुझे 14 किलो गेंहूँ तथा 21 किलो चावल दिया गया मुझसे इसका कीमत 130 रूप्या लिया गया।

6, श्री गजाधर मंडल पिता स्व0 आनंद मंडल ने बताया कि मुझे 24 किला चावल तथा 16 किलो गेंहूँ मिला जिसमें मुझसे 200 रूप्या लिया गया।

उपर्युक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट हो रहा है कि जन वितरण विक्रेता के द्वारा सरकार के द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक लिया जा रहा है। किसी–किसी उपभोक्ता से निर्धारित मात्रा में भी खाद्यान्न नहीं दिया गया।

उपर्युक्त जाँच प्रतिवेदन भेजी जाती है।

प्रमाणित प्रति

22/8/14

प्रधान लिपिक

अनुमंडल कार्यालय

उदाकिशुनगंज

(12)

विश्वासभाजन

प्रखंड विकास पदाधिकारी

पुरैनी।

अनुलग्नकः लाभुक के द्वारा दिया गया मूल प्रति।

[illegible]

[illegible]

उदाकिशुनगंज

अनुमंडल कार्यालय, उदाकिशुनगंज Anx-2

Annexure III

13

ज्ञापांक 1573-2 /अनु0कार्या0, दिनांक 1-7-14

प्रेषित,

श्री अनिरूद्ध मेहता,
सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली विक्रेता, मकदमपुर
अनुज्ञप्ति सं0-....................
प्रखंड- पुरैनी, मधेपुरा।

विषय :- **स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।**

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी के पत्रांक-567-2, दिनांक-30.06.2014 से अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में औचक निरीक्षण का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिसमें आपके विरूद्ध निम्न अनियमितता पायी गयी है:-

1. श्री मति उर्मिला देवी, पति-स्व0 छोटेलाल पौद्दार राशन कार्ड सं0-101101100005002500016 ने बताया कि मेरे परिवार का यूनिट 8 है मुझे 24 किलो चावल तथा 16 किलो गेहूँ मिला मुझसे डीलर के द्वारा 200 रूपया लिया गया।
2. श्री मति सत्यप्रिया देवी, पति- जयकांत कुमार राशन कार्ड सं0-101101100005002500049 ने बताया कि मेरे परिवार का यूनिट 5 है मुझे 15 किलो चावल तथा 10 किलो गेहूँ मिला। मुझसे डीलर द्वारा 140 रूपया लिया गया।
3. श्री मति फुरिया देवी, पति- नरसिंग मंडल वार्ड नं0-3 ने बताया कि मुझे 16 किलो गेहूँ और 22 किलो चावल दिया गया तथा मुझसे 200 रूपया लिया गया।
4. बबीता देवी पति उरेन मंडल वार्ड सं0-3 ने बताया कि मुझे 16 किलो गेहूँ तथा 17 किलो चावल दिया गया मुझसे 160 रूपया लिया गया।
5. श्री सुरेश मंडल, पिता- लालो मंडल ने बताया कि मुझे 14 किलो गेहूँ तथा 21 किलो चावल दिया गया मुझसे इसका कीमत 130 रूपया लिया गया।
6. श्री गजाधर मंडल, पिता- स्व0 आनन्द मंडल ने बताया कि मुझे 24 किलो चावल तथा 16 किलो गेहूँ मिला जिसमें मुझसे 200 रूपया लिया गया।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी के जाँच प्रतिवेदन एवं उपभोक्ताओं के ब्यान के आधार पर पाया गया है कि आपके द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली(नियंत्रण) आदेश 2001 में निहित नियम एवं शर्तो के कंडिका-2,5 का उपखंड (VIII) के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुज्ञा प्रपत्र-II के कंडिका-4,6,7,8,11 एवं 16 का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको आदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अंदर आप अपना स्पष्टीकरण अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर समर्पित करें अन्यथा आपके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चूँकि मामला लोक जनकल्याणकारी योजना की है।

अनुमंडल पदाधिकारी,
उदाकिशुनगंज।

ज्ञापांक- 1573-2 /अ0, दिनांक- 1-7- 2014

प्रतिलिपिः- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पुरैनी को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
उदाकिशुनगंज।

फोटो सच्ची प्रतिलिपि
तुलनाकार
अनुमंडल कार्यालय,

Anx-3 9

Annexure-IV
9-7-14

सेवा में,

श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी महोदय,
उदाकिशुनगंज ।

(14)
Not satisfactory. Ask for 2nd S/C.
10/07/14

विषय:- स्पस्टीकरण के सम्बन्ध में ।

प्रसंग:- भवदीय ज्ञापांक- 1573- 2 दिनांक- 01. 07. 2014

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन संदर्भ में निवेदन पूर्वक सूचित करना है कि श्रीमान के हस्ताक्षर से निर्गत ज्ञापांक- 1573- 2 दिनांक- 01. 07. 2014 मुझे दिनांक- 06. 07. 14 को हस्तगत कराया गया है ।श्रीमान के हस्ताक्षर से निर्गत उक्त पत्र में नामित लोगो द्वारा लगाया गया आरोप सरासर बेबुनियाद एवं मनगढंत है तथा स्थानीय गुटबाजी एवं राजनीति से लिप्त है जैसा कि श्रीमान के उक्त पत्र में नामित शिकायत कर्ताओ द्वारा तामिल शपथ- पत्र से भी साफ स्पस्ट हो जाता है उल्लेखनीय है कि चन्द राजनीतिक लोग वगैर कीमत भुगतान किये परिवार के सदस्यो से ज्यादा यूनिट का किरासन तेल एवं खाद्दान उपलब्ध कराने का दवाव देते रहते है तथा मेरे द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक का आपूर्ति नही किये जाने के कारण ही मेरे विरुद्ध षडयंत्र कर गलत आरोप लगाया गया है जो कदापि विश्वास के लायक नही है यहाँ यह भी ज्ञातब्य हो कि प्रति महीना में किरासन तेल एवं खाद्दान का उठाव कर समय सीमा के अन्दर निर्धारित मात्रा में सही कीमत लेकर उपभोक्ताओ का उपलब्ध कराता आ रहा हूँ ।

जैसा कि नामित शिकायतकर्ताओ द्वारा तामिल शपथ-पत्र से भी श्रीमान को ज्ञात होगा मैने आजतक अपने सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली विक्रेता जीवन काल में कभी भी किसी उपभोक्ताओ के साथ न तो अप्रिय

अभिप्रमाणित प्रतिलिपि
09/2/18

10

15

व्यवहार किया हूँ और न ही निर्धारित मात्रा से कम एवं निर्धारित दर से अधिक कीमत लेकर किरासन तेल एवं खाद्यान का आपूर्ति किया हूँ ।

अत:श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि कथित शिकायत कर्ताओं द्वारा मेरे उपर लगाये गये मनगढंत एवं बेबुनियाद आरोप से मुझे मुक्त करने की कृपा दर्शायी जाय जिसके लिये मैं श्रीमान का आभारी रहूँगा ।

निवेदक अनिरुद्ध प्र० मेहता
8/7/14
सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली विक्रेता
मखदमपुर, अंचल-पुरैनी,
अनुज्ञप्ति सं0- 79/07

22.8.14

Amx-4 Annexure-V

16

अनुमंडल कार्यालय, उदाकिशुनगंज

ज्ञापांक 1752-2/अनु०कार्या०, दिनांक 18/07/2014

प्रेषित,

श्री अनिरूद्ध प्रसाद मेहता,

सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली विक्रेता, मकदमपुर,

अनुज्ञप्ति सं0-79/2007

प्रखंड- पुरैनी, मधेपुरा

विषय :- **स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।**

प्रसंगः- इस कार्यालय के ज्ञापांक-1573-2, दिनांक-30.06.2014

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। आपके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में साक्ष्य के रूप में शिकायत कर्त्ता का शपथ पत्र संलग्न किया गया है। साथ ही यह भी अंकित किया गया है कि चन्द स्वार्थी तत्व द्वारा बगैर मूल्य दिए खाद्यान्न एवं किरासन तेल की मांग किया जाता है जिसका नाम अंकित नहीं किया गया है। अतएव आपके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है।

पुनः आपको निदेश दिया जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण सभी साक्ष्य सहित पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अंदर समर्पित करना सुनिश्चित करें अन्यथा **सार्वजनिक वितरण प्रणाली(नियंत्रण) आदेश-2001 के कंडिका-07 के उपखंड-(IV)** के आलोक में आपके विरूद्ध अनुज्ञप्ति रद्दीकरण का आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अनुमंडल पदाधिकारी,

उदाकिशुनगंज।

16/7/14

Anx-5

Annexure VIII

अनुमंडल कार्यालय, उदाकिशुनगंज

(आपूर्ति शाखा)

17

आदेश

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दूरभाष पर दिये गये निदेश के आलोक में मकदमपुर पंचायत के जन वितरण प्रणाली, विक्रेता श्री अनिरूद्ध मेहता के विरूद्ध शिकायत की जाँच प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी से करायी गयी। जाँचकर्त्ता प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी ने अपने पत्रांक-567-2, दिनांक-30.06.2014 द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री अनिरूद्ध मेहता, अनुज्ञप्ति सं0-79/2007, ग्राम पंचायत- मकदमपुर, प्रखंड- पुरैनी से सम्बद्ध टोले में रहने वाले उपभोक्ताओं का ब्यान दर्ज किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी द्वारा प्रतिवेदित किया है कि उपभोक्तओं के ब्यान के आधार पर निम्न अनियमितता पायी गयी है:-

1. श्री मति उर्मिला देवी, पति-स्व0 छोटेलाल पौद्दार राशन कार्ड सं0-10110110005002500016 ने बताया कि मेरे परिवार का यूनिट 8 है मुझे 24 किलो चावल तथा 16 किलो गेहूँ मिला मुझसे डीलर के द्वारा 200 रूपया लिया गया।
2. श्री मति सत्यप्रिया देवी, पति- जयकांत कुमार राशन कार्ड सं0-10110110005002500049 ने बताया कि मेरे परिवार का यूनिट 5 है मुझे 15 किलो चावल तथा 10 किलो गेहूँ मिला। मुझसे डीलर द्वारा 140 रूपया लिया गया।
3. श्री मति करिया देवी, पति- नरसिंग मंडल वार्ड नं0-3 ने बताया कि मुझे 16 किलो गेहूँ और 22 किलो चावल दिया गया तथा मुझसे 200 रूपया लिया गया।
4. बबीता देवी पति उरेन मंडल वार्ड सं0-3 ने बताया कि मुझे 16 किलो गेहूँ तथा 17 किलो चावल दिया गया मुझसे 160 रूपया लिया गया।
5. श्री सुरेश मंडल, पिता- लालो मंडल ने बताया कि मुझे 14 किलो गेहूँ तथा 21 किलो चावल दिया गया मुझसे इसका कीमत 130 रूपया लिया गया।
6. श्री गजाधर मंडल, पिता- स्व0 आनन्द मंडल ने बताया कि मुझे 24 किलो चावल तथा 16 किलो गेहूँ मिला जिसमें मुझसे 200 रूपया लिया गया।

प्रतिवेदित अनियमिताओं के आलोक में विक्रेता श्री अनिरूद्ध मेहता से इस कार्यालय के ज्ञापांक-1573-2, दिनांक-01.07.2014 से कारण पृच्छा की मांग की गयी एवं निदेशित किया गया कि पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण सम्यक साक्ष्य सहित समर्पित करें। विक्रेता श्री अनिरूद्ध मेहता के द्वारा दिनांक-10.07.2014 को अपना स्पष्टीकरण उपभोक्ताओं के शपथ पत्र के साथ समर्पित किया गया। विक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में साक्ष्य के रूप में संलग्न शपथ पत्र का मजमून एक समान है जो इस बात का द्योतक है कि विक्रेता द्वारा ही उपभोक्ता को दबाव में लाकर शपथ पत्र तैयार कर अपने स्पष्टीकरण के साथ समर्पित किया है। उपरोक्त के संबंध में विक्रेता को कोई भी निदेश नहीं दिया गया था कि ब्यान दिये गये उपभोक्ता से ब्यान लेकर या शपथ पत्र लेकर आप अपने स्पष्टीकरण के साथ समर्पित करें। अतएव विक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया गया।

पुनः इस कार्यालय के ज्ञापांक-1752-2/अनु0कार्या0, दिनांक-18.07.2014 से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग विक्रेता श्री अनिरूद्ध मेहता से किया गया, जो विक्रेता को दिनांक-22.07.2014 को हस्तगत कराया गया है। विक्रेता द्वारा पृच्छित कारण के आलोक में श्री मणिकान्त मंडल, पिता- श्री कपिलदेव मंडल, ग्राम- मकदमपुर पर आरोप लगाये हैं कि उपभोक्ताओं को बहला फुसलाकर एवं प्रलोभन देकर शिकायत दर्ज करवायें है। साथ ही यह भी उल्लेख किये हैं कि शिकायतकर्त्ता शपथ पत्र के माध्यम से आरोप

फोटो सच्ची प्रतिलिपि
22.8
मुहर्रिर
अनुमंडल कार्यालय,
उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)

को झूठा करार दिये है जो बिल्कुल सत्य से पड़े है क्योंकि शपथकर्ता द्वारा आरोप को सही बताया गया है। इससे स्पष्ट है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री मेहता झूठा स्पष्टीकरण समर्पित कर रहें है। (18)

"सार्वजनिक वितरण प्रणाली(नियंत्रण) आदेश 2001" के कंडिका-07 के खंड-(IV) के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी को अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर दिया गया।

उपर्युक्त विवरणों के विवेचना से यह विनिश्चित होता है कि विक्रेता श्री अनिरूद्ध मेहता द्वारा उनसे संबद्ध उपभोक्ताओं को आवश्यक एवं अनुदानित सामग्रियों का उठाव कर निर्धारित मात्रा एवं निर्धारित मूल्य पर खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं की जाती है। जिससे उपभोक्ताओं को समुचित खाद्यान्न सामग्री से वंचित होना पड़ता है। प्राप्त प्रतिवेदन से यह विनिश्चित होता है कि विक्रेता के द्वारा सामग्रियों के वितरण में लगातार अनियमिता बरती जा रही है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विक्रेता द्वारा "सार्वजनिक वितरण प्रणाली(नियंत्रण) आदेश-2001"के कंडिका-4 के खंड-1(i), खंड-2, कंडिका-5 के खंड-(i), एवं कंडिका-7 खंड (i) उपखंड b, खंड (ii) के साथ-साथ "सार्वजनिक वितरण प्रणाली(नियंत्रण) आदेश-2001 के अंतर्गत उचित मूल्य की दूकान का अनुज्ञा पत्र के प्रपत्र-।। निहित् कर्त्तव्य एवं उत्तर दायित्व के कंडिका-6,11का उल्लंघन विक्रेता श्री शोभाकान्त राम के द्वारा किया गया है।

अतएव उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में "सार्वजनिक वितरण प्रणाली(नियंत्रण) आदेश 2001 की कंडिका-7 के उपखंड- । एवं ।। के प्रावधानों के अन्तर्गत श्री अनिरूद्ध मेहता, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम पंचायत- मकदनपुर, प्रखंड- पुरैनी की अनुज्ञप्ति सं0-79/2007 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। अनुज्ञप्ति रद्द विक्रेता 30 दिनों के अंदर समाहर्त्ता महोदय के न्यायालय में अपील करने के लिए स्वतंत्र है।

ह0/-
अनुमंडल पदाधिकारी,
उदाकिशुनगंज।
6/8/14

ज्ञापांक-1924-2 दिनांक-6-8-2014

प्रतिलिपिः- श्री अनिरूद्ध मेहता, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम पंचायत- मकदमपुर, प्रखंड- पुरैनी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पुरैनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा/ सहायक गोदाम प्रबंधक, बिहारीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- मेसर्स श्याम स्टोर, थोक किरासन तेल विक्रेता, बिहारीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिलाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह0/-
अनुमंडल पदाधिकारी,
उदाकिशुनगंज।
6/8/14

फोटो सच्ची प्रतिलिपि
22-8

प्रमाणित
प्रधान लिपिक
अनुमंडल कार्यालय
उदाकिशुनगंज